

अजमेर व जवाब प्रा.पत्र (0)।(R)।0
दी.प्र.सं. दिनांक 10/10/2024 को पेश
है।

S.D.O

10
2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी परोक्ष सरकार
उपस्थित। पत्रावली में माननीय राजस्व
मण्डल अजमेर का स्थगन होने से कार्यवाही
पेठिडा रखी जाती है। पत्रावली वास्ते
आगामी आदेश मा.रा.सं. अजमेर व
जवाब प्रा.पत्र (0)।(R)।0 दी.प्र.सं.
दिनांक 26/11/2024 को पेश है।

S.D.O

26/11
2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी परोक्ष सरकार
उपस्थित। पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल
अजमेर का स्थगन होने से कार्यवाही पेठिडा
रखी जाती है। पत्रावली वास्ते आगामी
आदेश मा.रा.सं. अजमेर व जवाब प्रा.
पत्र (0)।(R)।0 दी.प्र.सं. दिनांक 03/12/24
को पेश है।

S.D.O

12
03/2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील
अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल
अजमेर का स्थगन होने से पत्रावली को इसी
स्तर पर आरिज किये जाने का निवेदन किया।
पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन
किया गया। अकरण में माननीय न्यायालय राज

S.D.O

Form No. III

App-Z
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

राज्य परिषद तहसीलदार

बनाम

~~श्री राजेश~~ भुवानी वाई

किस्म मुकदमा

इजारा

नं०

03

सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>मण्डल अजमेर द्वारा मॉके व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश परित किए, आगामी आदेशों तक प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आगामी आदेश परित होने तक पत्रावली को इसी स्तर पर पेठिडा रखी जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आगामी आदेश परित होने तक पत्रावली को पेठिडा रखी जाकर कुल शुमार से दर्ज रजिस्टर से कम की जाती है। पत्रावली शामिल दफ्तर है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	